

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 27/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 26 नवंबर, 2018

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

| क्र. सं. | नोटिसियों का नाम एवं पता | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी |
|----------|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | मोहम्मद फारुकी मोहम्मद हानिफ उर्फ शेख फारुकी, हानिफ मोहम्मद शेख के पुत्र, निवासी: फ्लैट सं. 4, 1 ^{ला} तल, खम्बती बिल्डिंग, 256, नागदेवी स्ट्रीट, मस्जिद (पश्चिम), मुंबई-400003 और 22 अन्य. | फा. सं. DRI/MZU/ NS/Int-144/2017 दिनांक 27.07.2018, दिनांक 17.08.2018 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय. (seizure of exported goods) | संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (ड्रॉबैक) (न्हावा शेवा -II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई (तालिका के क्र. सं. 1 और 2 के लिए). |
| 2. | मोहम्मद फारुकी मोहम्मद हानिफ उर्फ शेख फारुकी, हानिफ मोहम्मद शेख के पुत्र, निवासी: फ्लैट सं. 4, 1 ^{ला} तल, खम्बती बिल्डिंग, 256, नागदेवी स्ट्रीट, | फा. सं. DRI/MZU/ NS/Int-144/2017 दिनांक 12.09.2018. (seizure of imported goods) | आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), मुंबई ज़ोन-II, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. | |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | मस्जिद (पश्चिम), मुंबई-400003 और 19 अन्य. | | आयुक्त सीमाशुल्क (निर्यात-1), मुंबई ज़ोन-1, न्यू कस्टम हाउस, मुंबई. | |
| 3. | मै टेराटेक इंडिया प्रा. लिं., 402, अंसल चेंबर्स, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 और श्री राजीव कुमार, निदेशक, मै टेराटेक इंडिया प्रा. लिं., 402, अंसल चेंबर्स, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066. | फा. सं. DRI/MZU/ NS/Enq-98/2016 दिनांक 25.10.2018. | आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़ के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. आयुक्त सीमाशुल्क, इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज और अन्य आईसीडी, दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो- तुगलकाबाद, नई दिल्ली के कार्यालय में संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क. | प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. |

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-24/2018-CI]

(सुचेता श्रीजेश)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई।
4. तालिका के स्तंभ (2) वर्णित नोटिसी।